

रस-सिद्धान्त

संस्कृत काव्य-शास्त्र के इतिहास में रस आदि से अन्त तक किसी न किसी रूप में निरूपित होता रहा है। आचार्य मत्त ने रस-विषयक प्रायः सभी सामाग्री सफाई रूप से प्रस्तुत की थी। उसके उपरान्त आमर, दण्डी, उद्भट, वाचन, आनन्दवर्धन एवं कुल्लुक ने भी रस को समीचीन स्थान दिया।

'रस' शब्द भारतीय संस्कृति और साहित्य के चरम विकास से सम्बन्धित है। भारतीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में 'रस' शब्द का प्रयोग सर्वोत्कृष्ट तत्त्व के लिए होता है। स्वाध्याय पदार्थों और ज्ञानों के क्षेत्रों में रस अद्युत्तम तत्त्व पदार्थ का द्योतक है। संगीत के क्षेत्र में कर्णेन्द्रिय श्रावण (आनंद) का नाम 'रस' है, चिकित्सा के क्षेत्र में परमात्मा को ही रस या रस को ही परमात्मा द्योतित किया गया है - "रसो वै सः" अर्थात् रस ही परमात्मा है। इसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी काव्य के आस्वादन से प्राप्त आनंदानुभूति को ही रस की संज्ञा दी गई है। अतः 'काव्यानन्द ही रस है'।

रस-सिद्धान्त के प्रवर्तक आचार्य मत्त-भूमी माने जाते हैं। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस के विभिन्न अर्थों का विवेक किया है। मत्त का समय अनुमानतः ईसा की प्रथम शताब्दी माना जाता है। इनके पूर्व भी रस-सिद्धान्त के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है, परन्तु ग्रन्थों के अनुपलब्ध होने के कारण मत्त को ही इस सिद्धान्त का आदि आचार्य माना जाता है। मत्तभूमी के कार्य को अनेक पक्षों आचार्यों-मह-कौण्डिन्य, शंकु, महनाथ, श्रीमन्नगुप्त, श्रीगण, विश्वनाथ, उद्भट आदि ने आगे बढ़ाया। आगे चलकर हिन्दी के कवियों और आचार्यों ने भी रस-सिद्धान्त का महत्व स्वीकार किया है। आधुनिक युग में आचार्य रामचन्द्र-शुक्ल और जग-नगेन्द्र ने रस सिद्धान्त को नई व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। परन्तु लगभग बीस शताब्दियों से भारत में रस-सिद्धान्त की उचित अनुष्ठा रूप से रही है। यद्यपि अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि आचार्यों ने रस के विषय में नये-नये सम्यदायों की स्थापना करने का प्रयास किया, किन्तु उन्हें सफलता न मिली और भारत में उन्हें भी किसी न किसी रूप में रस का महत्व-स्वीकार कला पड़ा।

रस - निष्पत्ति

काव्य के अध्ययन से पाठक को रस या आनंद की अनुभूति होती है। आचार्य भरतमुनी का मानना है - विभावानुभाव - व्योमर्था। संयोगाद्रसनिष्पत्ति :- अर्थात् विभाव, अनुभाव और व्योमर्था भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। परन्तु आचार्यों ने इस श्लोक की व्याख्या अपने-अपने दृष्टि से करते हुए अनेक मत स्थापित किये हैं। इन आचार्यों को दो वर्गों में बाटा गया है :-

1) प्राचीन आचार्य :- महर्षि-लौक्यट, शंभुक, महर्षिनाथक और श्रीमन्नव पुं

2) अर्वाचीन आचार्य :- रामचन्द्र शुक्ल, श्रीराममुन्द (दास), नगीन्द्र, सुलभा

इन्के मतवर्षों पर ग्रहों क्रमशः प्रकाश डाला जाता है :-

1) महर्षिलौक्यट का उत्पत्तिवाद :- महर्षिलौक्यट ने भरतमुनी द्वारा प्रमुक्त दो शब्दों - (संयोग) और 'निष्पत्ति' -

की व्याख्या मौलिक रूप से करते हुए बताया कि 'संयोग' का तात्पर्य यहाँ सम्बन्ध या मेल है तथा निष्पत्ति का अर्थ 'उत्पत्ति' है। उनके मतानुसार विभावों से रस की उत्पत्ति होती है, संचारियों से पुष्टि तथा अनुभावों से अतिव्यक्ति होती है। इस प्रकार से रस-सामाग्री का रस से तीन प्रकार का सम्बन्ध हुआ : रस और विभावों में उत्पाद्य - उत्पादक, रस और संचारियों में जोषयाजोषक तथा रस और अनुभावों में गन्ध - गन्धु सम्बन्ध होता है। इस प्रक्रिया को समझने के हम दही की लससी का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। दही, पानी, चर्ब और चीनी आदि को मिलाकर, सधडा लससी तैयार की जाती है। दही मूल उत्पादन है, जिससे लससी तैयार होती है; पानी, चर्ब और चीनी यह बढ़ती और पुष्ट होती है और गन्धग क्रिया से उत्पन्न कोण यह सूचित करते हैं कि अब लससी तैयार हो गयी। इस तरह दही विभाव है जिसका लससी से उत्पादक - उत्पाद्य सम्बन्ध है, पानी, चर्ब, चीनी संचारक हैं जिसका लससी से जोषय - जोषक सम्बन्ध है तथा आग अनुभाव जो लससी तथा रस को व्यक्त या सूचित करते हैं। यद्यपि विभावों ने महर्षिलौक्यट के मत की 'उत्पत्तिवाद' का नाम दिया है, किन्तु यह सुचित है, क्योंकि 'निष्पत्ति' के आन्तर्गत लौक्यट ने केवल उत्पत्ति को ही नहीं, पुष्टि और अतिव्यक्ति को भी स्थान दिया है।